न्यायालय श्रीमान सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर म0 प्र0

प्र-3 ______ 1925/2021/अ1

निग0 3625 II/2015

अयोध्या प्रसाद पटेल पिता सरजो प्रसाद पटेल उम्र लगभग 70 वर्ष पेशा खेती
निवासी ग्राम पहरखा थाना गढ़ तहसील मनगवां
जिला रीवा म0 प्र0 ------- - निगरानीकर्ता

बनाम

==========

1. श्यामलाल पटेल
2. जगदीश प्रसाद पटेल
3. शिवराम पटेल
4. शिवमूर्ति पटेल

सभी के पिता सरजो प्रसाद पटेल निवासी पहरखा तहसील मनगवां जिला रीवा म0 प्र0

------------ गैर निगरानीकर्ता

निगरानी आदेश श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय मनगवां जिला रीवा म0 प्र0 के प्र0 क्र0-95अ27/14x015 मे पारित आदेश दिनांक22. 9. 015

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 सं0 सन 1959 ई0 ।

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न लिखित है :-

1. यह कि अधीनस्थ न्याया0 का आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है ।

2. यह कि निगरानी कर्ता ने अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत धारा 5 के जबाव में x यह लेख किया था कि अपीलार्थी गैर निगरानीकर्तागण अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होते रहे तथा गैर निगरानीकर्ता के हस्ता0 बने है ऐसी स्थिति मे यह नही कहा जा सकता है कि गैर निगरानी कर्ता गणो को अपीलार्थी को आदेश की जानकारी नही थी ।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–निगरानी–3625–दो/15 जिला–रीवा

अयोध्या प्रसाद पटेल विरूद्ध श्यामलाल पटेल आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
05–03–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री के.डी. दीक्षित अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील मनगवां, जिला–रीवा के प्रकरण क्रमांक 95/अ–27/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 22–09–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 03–05–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य 5/3/19	